न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 33/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2015/00030)

1. गोदावरी पत्नी स्व. इन्द्रचन्द गुर्जर निवासनी कस्बा सुजानगढ जिला चूरू
2. किशोर कुमार पुत्र स्व. इन्द्रचन्द जाति गुर्जर निवासी कस्बा सुजानगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. भागीरथ पुत्र स्व. हनुमानाराम जाति गुर्जर निवासी कस्बा सुजानगढ जिला चूरू।
2. राजस्थान राज्य

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री विजय चूरा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 22.11.2021**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के निर्णय दिनांक 24.11.2014 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 भागीरथ ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पेश कर वादगत खेत खं. नं. 325/75 लगाय 326, 327, 328, 329 वाके रोही ग्राम ठरडा तहसील सुजानगढ की पैमाइश करवाकर सीमाज्ञान व स्थाई पत्थर गढी करवाने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया कि खातेदारी खसरा नं. 326/75 तादादी 10.06 बीधा वाके रोही ठरड़ा तहसील सुजानगढ की नियमानुसार फीस जमा करवाकर पैमाइश कर पत्थरगढी करावे। पत्थर गढी के समय अप्रार्थी को भी सूचित करे कि वो मौके पर उपस्थित रहै। इस संबध में किसी प्रकार के झगड़े आदि की

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संभावना हो तो पुलिस सहायता प्राप्त कर लेवें। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि मौजा रोही ठरडा तहसील सुजानगढ के खसरा नं. 79 मे 5.15 बीधा व 80 में 6.5 बीधा कुल तादादी 12 बीधा स्थित है तथा उक्त भूमि पर बनी सीव जो 5–6 फिट उची है। सीव के निशान पुराने है उसके उपर पौधे लगे हुए है तथा अरसे से अपीलान्ट व उसके पूर्वज काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट नं. 1 का कोई सम्बन्ध नही है ना ही उनकी कृषि भूमि किसी भी रूप में अपीलान्ट के कब्जे में है। सीमाज्ञान व पत्थर गढ्ढी के नाम पर अपीलान्ट के खेत की सीव को तोड़ कर जबरन कब्जा करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की मौका जांच रिर्पोट नही मंगवाई एव राजस्व नक्शे की जांच नही की। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पेश कर वादगत खेत खं. नं. 325/75 लगाय 326, 327, 328, 329 वाके रोही ग्राम ठरडा तहसील सुजानगढ की पैमाइश करवाकर सीमाज्ञान व स्थाई पत्थर गढी करवाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिर्पोट एवं पटवारी रिपोट अनुसार यह माना है कि पड़ौसी सीमा पर लड़ाई झगड़ा कर सकते है, तथा अपीलान्ट की मौजूदगी में पत्थर गढी करवाने का आदेश दिया है। रेस्पोडेन्ट अपने खेत की पैमायश व पत्थर गढी करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार फीस जमा कराकर पैमायश कर पत्थरगढी करने का आदेश दिया है जो सही है। इसके अलावा अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अतः अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

६. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के निर्णय दिनांक 24.11.2014 के विरूद्व दिनांक 11.05.2015 को दर्ज हुई। अपीलान्ट द्वारा मियाद के बिन्दु पर प्रार्थना पत्र दफा 5 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जबाब अथवा शपथ पत्र प्रस्तुंत नही किया गया है, अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार करते हुऐ अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलाधीन आदेश रेस्पोडेन्ट सं. 1 के आवेदन पर पारित किया गया है, जिसमे तहसीलदार सुजानगढ को पक्षकार नही बनाया गया है जबकि तहसीलदार सुजानगढ आवश्यक पक्षकार है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2014 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में तहसीलदार सुजानगढ को पक्षकार बनाते हुए उनसे जबाब एवं मौका रिर्पोट लेकर उभय पक्ष को सुनकर, पुनः निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 22–11–2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर